न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 31/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

जे. एम. फाइनेंसियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी जगदीश मीणा

कार्यालयः– सातवीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पा साहिब मराठे मार्ग, प्रभा देवी, मुंबई, महाराष्ट्र–400025

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **गंगाराम राछोया पुत्र हनुमान सहाय** निवासी बालाजी इलेक्ट्रीक एण्ड मोटर बाईन्डिंग प्लॉट नं. 345 शिव विहार कॉलोनी वी.के.आई एरिया रोड़ न. 5 जयपुर तहसील व जिला जयपुर राजस्थान 302039
2. **छोटूराम पुत्र कजोड़मल रैगर** निवासी वार्ड न. 10 झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान 332707
3. **तुलसी देवी पत्नी हनुमान सहाय**
   प्रथम पताः– वार्ड न. 11 झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान 332707
   द्वितीय पताः– आवासीय भूखण्ड खसरा न. 4241 ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 332707

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 20 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री कंचन सिंह चौधरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **गंगाराम राछोया पुत्र हनुमान सहाय, छोटूराम पुत्र कजोड़मल रैगर व तुलसी देवी पत्नी हनुमान सहाय** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड खसरा न. 4241 ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 332707** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 252.05 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में छोटुराम गंगाराम की भूमि, दक्षिण दिशा में विक्रेता की जमीन, पूरब दिशा में विक्रेता की जमीन व पश्चिम दिशा में नानूराम की जमीन स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹4,50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये चार लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **21.11.2024** के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट * सीकर (राज.) *

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **21.11.2024** को धारा 13(2) के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 3 क्रमशः **गंगाराम राछोया पुत्र हनुमान सहाय, छोटूराम पुत्र कजोड़मल रैगर व तुलसी देवी पत्नी हनुमान सहाय** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड खसरा न. 4241 ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 332707** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 252.05 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में छोटुराम गंगाराम की भूमि, दक्षिण दिशा में विक्रेता की जमीन, पूरब दिशा में विक्रेता की जमीन व पश्चिम दिशा में नानूराम की जमीन स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **20 अप्रैल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर